अध्याय 18
मांग और वसूली

[1][नियम 142 : अधिनियम के अधीन रकमों की मांग के लिए सूचना और आदेश

---

1 अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा नियम 142 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**नियम 142 : अधिनियम के अधीन संदेय रकम की मांग के लिए सूचना और आदेश**

(1) उचित अधिकारी,–

(क) धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या धारा 76 की उपधारा (2) के अधीन सूचना, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रुप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01** में, या

(ख) धारा 73 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन कथन, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–02** में,

उसमें संदेय रकम के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा।

(2) जहां सूचना या कथन की तामील से पहले कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (5) के अनुसार कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है, वहाँ वह उचित अधिकारी को, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** में ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित अधिकारी, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–04** में उक्त व्यक्ति द्वारा किये गये संदाय को स्वीकार करते हुए एक अभिस्विकृति जारी करेगा।

(3) जहां, कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन, यथास्थिति, कर, ब्याज और शास्ति का नियम (1) के अधीन सूचना की तामील के 30 दिन के भीतर या धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन संदाय करता है या संबंधित व्यक्ति धारा 129 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम का माल और प्रवहन को निरूद्ध करने या जब्त करने के 14 दिन के भीतर संदाय करता है तो वह ऐसे संदाय की समुचित व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** में संसूचना देगा तथा समुचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करने का **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–05** में आदेश जारी करेगा।

(4) धारा 73 की उपधारा (9), धारा 74 की उपधारा (9) या धारा 76 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन या किसी धारा के अधीन जारी किसी सूचना का प्रत्युत्तर, जिसके सारांश को उपनियम (1) के अधीन **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01** में इलैक्ट्रानिक रूप में अपलोड किया गया है, को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–06** में प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) धारा 52 या धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 [A][या धारा 75 की उपधारा (12)] या धारा 75 या धारा 76 [B][या धारा 125] [C][या धारा 129 या धारा 130] के अधीन जारी आदेश के सारांश को उसमें कर के प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और संदेय शास्ति की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–07** में इलैक्ट्रानिक रूप से अपलोड किया जाएगा।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश को वसूली का आदेश माना जाएगा।

(7) जहां आदेश परिशोधन आदेश को धारा 161 के उपबंधों के अनुसार पारित किया गया है या सिस्टम में अपलोड किए गए आदेश का प्रतिसंहरण कर लिया गया है, परिशोधन आदेश या परिसंहरण आदेश के सारांश को समुचित अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–08** में अपलोड किया जाएगा।"

A अधिसूचना क्रमांक 74/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।

B अधिसूचना क्रमांक 48/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.09.2018 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.09.2018)।

C अधिसूचना क्रमांक 28/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 19.09.2018 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 19.9.2018)।

1) समुचित अधिकारी निम्नलिखित के साथ,–

(क) धारा 52 या धारा 73 या धारा 74 [2][या धारा 74क] या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन जारी सूचना के साथ इलैक्ट्रानिक रूप में उसके सारांश की **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01** में तामील करते हुए,

(ख) धारा 73 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) [3][या धारा 74क की उपधारा *(3)] के अधीन विवरण, इलैक्ट्रानिक रूप में उसके सारांश की, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–02** में तामील करते हुए,

उनमें संदेय रकम के ब्यौरों को विनिर्दिष्ट करेगा।

[4][(1क) [5][उचित अधिकारी कर सकेगा] कर, ब्याज और शास्ति से प्रभार्य किसी व्यक्ति को यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) [6][या धारा 74क की उपधारा (1)] के अधीन नोटिस की तामीली से पूर्व उक्त अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित किसी कर, ब्याज और शास्ति के ब्यौरे **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01क** के **भाग क** में [7][संसूचित]।

(2) जहां सूचना या विवरण की तामील से पूर्व कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, कर, ब्याज [8][या धारा 74क की उपधारा (8) के खंड (i) या धारा 74 की उपधारा (5) या धारा 74क की उपधारा (9) के खंड (i) के अनुसरण मे , यथास्थिति कर , ब्याज और शास्ति] या किसी अन्य शोध्य रकम, [9][चाहे उसके स्वयं के अभिनिश्चित पर या, उपनियम (1क) के अधीन

---

2 अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।

3 अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।

* राजपत्र में ''या धारा 74क की उपधारा (1)'' छपा है।

4 अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा उपनियम (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2019)।

5 अधिसूचना क्रमांक 79/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 15.10.2020 द्वारा ''उचित अधिकारी करेगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.10.2020)।

6 अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।

7 अधिसूचना क्रमांक 79/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 15.10.2020 द्वारा ''संसूचित करेगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.10.2020)।

8 अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा ''और धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार शास्ति का संदाय कर देता है या कोई व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर, ब्याज, शास्ति'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।

9 अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2019)।

उचित अधिकारी द्वारा यथा संसूचित,] का संदाय से सूचित करेगा और [10][समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय के संबंध में **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** में सूचित करेगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में ऐसे व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–04** अभिस्वीकृति उपलब्ध कराई जाएगी।]

[11][**(2क)** जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने उसे संसूचित रकम का भागिक संदाय किया है या वह प्रस्तावित दायित्व के विरू) कोई निवेदन फाइल करने का इच्छुक है, वहाँ वह ऐसा निवेदन **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01क** के **भाग ख** में कर सकेगा [12][और तत्पश्चात समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए, यथास्थिति, संदाय या दलीलों या दोनों को स्वीकार करते हुए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01क** के **भाग (ग)** में संसूचित जारी कर सकेगा]।

[13][**(2ख)** जब किसी व्यक्ति द्वारा धारा 52 या धारा 73 या धारा 74 [14][या धारा 74क] या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन कर, ब्याज, शास्ति या कोई अन्य संदेय रकम को उक्त व्यक्ति द्वारा उपनियम (2) के अधीन **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** में संसूचना द्वारा संदत्त किया जाता है तो उक्त मांग के लिए सृजित नामें प्रविष्टि के विरू) इलैक्ट्रानिकी दायित्व रजिस्टर में **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–01** उक्त रकम का प्रत्यय करने के स्थान पर उक्त व्यक्ति के स्थान पर सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03क** में एक आवेदन कर सकेगा और इस प्रकार संदत्त और **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** के माध्यम से संसूचित रकम का उक्त मांग के लिए सृजित नामें प्रविष्टि के सामने **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01** में इलैक्ट्रानिकी दायित्व रजिस्टर में प्रत्यय किया जाएगा मानों उक्त संदाय **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** के माध्यम से ऐसी संसूचित की तारीख को उक्त मांग के लिए संदाय किया गया था :

परंतु जहां कोई आदेश **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** में किसी रकम के संदाय के संबंध में कार्यावाहियों को समाप्त करते हुए उपनियम (3) के अर्थांतर्गत **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–05**

---

10 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

"समुचित अधिकारी को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03** में ऐसे संदाय से सूचित करेगा और समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए संदाय की अभिस्वीकृति, स्वीकृति **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–04** में जारी करेगा।"

11 अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा उपनियम (2क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2019)।

12 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

13 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा उपनियम (2ख) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

14 अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।

में कोई आदेश जारी किया जाता है तो **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–03क** में कोई आवेदन उक्त व्यक्ति द्वारा उक्त संदाय की बाबत् फाइल नहीं किया जाता सकता है।**]**

(3) जहां कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति यथास्थिति धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन या धारा 74क की उपधारा (8) के खंड (ii) के अधीन कर और ब्याज या यथास्थिति या धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन या धारा 74क की उपधारा (9) के खंड (ii) के अधीन यथास्थिति कर, ब्याज और शास्ति का उनमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदाय करता है या जहां संबंधित व्यक्ति धारा 129 की उपधारा (1) मे निर्दिष्ट किसी रकम का उस धारा की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई सूचना के 7 दिन के भीतर किन्तु उक्त उपधारा (3) के अधीन आदेश के जारी होने से पहले संदाय करता है, तो वह **प्ररुप जीएसटी डीआरसी–03** मे ऐसे संदाय को समुचित अधिकारी को संसूचित करेगा और समुचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध मे कार्यवाही का समापन करते हुए **प्ररुप जीएसटी डीआरसी–05** मे संसूचना जारी करेगा।**]**

(4) धारा 73 की उपधारा (9), धारा 74 की उपधारा (9) [15]**[**या धारा 74क की उपधारा (6)**]** या धारा 76 की उपधारा (3) निर्दिष्ट अभ्यावेदन या किसी धारा के अधीन जारी किसी सूचना का प्रत्युत्तर, जिसके सारांश को उपनियम (1) के अधीन **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–01** में इलैक्ट्रानिक रूप में अपलोड किया गया है, को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–06** में प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) धारा 52 या धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 [16]**[**या धारा 74क**]** या धारा 75 या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन जारी आदेश के सारांश को उसमें [17]**[**संबंधित व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और संदेय शास्ति, जैसी भी स्थिति हो**]**, की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–07** में इलैक्ट्रानिक रूप से अपलोड किया जाएगा।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश को वसूली का आदेश माना जाएगा।

(7) जहां आदेश परिशोधन आदेश को धारा 161 के उपबंधों के अनुसार पारित किया गया है या सिस्टम में अपलोड किए गए आदेश का प्रतिसंहरण कर लिया गया है, परिशोधनआदेश या परिसंहरण आदेश के सारांश को समुचित अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–08** में अपलोड किया जाएगा।**]**

---

15 अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।

16 अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।

17 अधिसूचना क्रमांक 40/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा ''कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और संदेय शास्ति'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।